पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या- 851

थाना कांड संख्या- 77 वर्ष- 2011 थाना- सहियारा जिला- सीतामढ़ी, से उत्पन्न

==

बैद्यनाथ पाठक, श्री यमुना कांत पाठक के पुत्र, निवासी गाँव-बाथनाहा, थाना- बथनाहा, जिला- सीतामढ़ी

.........अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

...........प्रतिवादी

==

भारतीय दंड संहिता 1860 - धारा 302 और 304-बी

दहेज निषेध अधिनियम् 1961 - धारा 4

अपीलार्थी-पति के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302 और 304-बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप गठन किया गया, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उसे उक्त धारा 304-बी तथा धारा 4 के तहत आरोपों से बरी किया, लेकिन धारा 302 के तहत दोषी पाया तथा आजीवन कारावास तथा 50,000/-रुपये का जुर्माना की सजा सुनाया और जुर्माने का भुगतान में विफल रहने पर एक वर्ष के लिये कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मृतक-पत्नी की मृत्यु उसके पिता के घर हुई थी। मृतक के पिता के अनुसार दहेज की मांग की जाती थी तथा हत्या वाली रात पति-पत्नी में रातभर झगड़ा हुई।

राजेश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य;(2022)12 एस.सी.सी. 200 तथा सी.मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु;(2010)4 एस.सी.सी. 567 पर भरोसा किया गया।

निर्णित किया गया कि **पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को उस हद तक स्वीकार किया जा सकता है जहाँ तक उसका बयान सावधानीपूर्वक जाँच में विश्वसनीय पाया जाता है।**

मृतक के शरीर में चोट जो मृत्यु पूर्व में कारित की गयी, हमें विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है कि अपीलार्थी का कभी भी उसे मारेन का इरादा नहीं था। लेकिन यह निश्चित रुप से माना जाता है कि उन्हें यह जानकारी थी कि मृतक की गर्दन पर लगाये गये किसी भी बल का परिणाम मृत्यु हो सकता है, जो हत्या नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रुप से गैर-इरादतन हत्या हो सकती है, न कि हत्या के बराबर।

अपीलार्थी की दोष-सिद्धि की धारा 302 से धारा 304 भाग-II में परिवर्तित की गयी तथा सजा को अब तक हिरासत में बिताये गये अवधि तक कम कर दिया जाता है।

[पारा 2,20,21,30,31,41 और 46]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या- 851

थाना कांड संख्या- 77 वर्ष- 2011 थाना- सहियारा जिला- सीतामढ़ी, से उत्पन्न

==

बैद्यनाथ पाठक, श्री यमुना कांत पाठक के पुत्र, निवासी गाँव-बाथनाहा, थाना- बथनाहा, जिला- सीतामढ़ी

.........अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

...........प्रतिवादी

==

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिये: श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभियोजक

==

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी टैगिया

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि: 23-01-2024

1. हमने एकमात्र अपीलार्थी, जो मृतक के पति हैं, के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर और विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री अभिमन्यु शर्मा को सुना है।

2. अपीलार्थी पर भा. दं. सं. की धारा 302 और 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप गठन किया गया है, लेकिन सत्र वाद संख्या 431/12, 52/2013 का सहियारा थाना कांड संख्या- 77/2011 से उत्पन्न में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा पारित दिनांक 12.08.2014 के फैसले के अनुसार अपीलार्थी को भा. दं. सं. की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन भा. दं. सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। दिनांकित 21.08.2014 के आदेश द्वारा, उन्हें भा.दं.सं. की धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 50,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर एक वर्ष के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा।

3. मृतक की मृत्यु उसके पिता के घर पर हुई। अपीलार्थी को उसी दिन ग्रामीणों और मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा गिरफ्तार किया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। हालाँकि, उन्हें दो दिन बाद अदालत में पेश किया गया, स्पष्टीकरण यह था कि एक दिन सड़क पर वाहनों को चलाने वाले चालकों की हड़ताल हुई थी।

4. मृतक और अपीलार्थी सूचना देने वाले (पीडब्लू 8), जो मृतक के पिता हैं, के घर उनके पुत्र के विवाह के अवसर पर आए थे। सूचक के पुत्र की शादी 05.12.2011 को हुई थी। यह घटना शादी के चौथे दिन हुई जब कुछ उत्सव अभी भी जारी थे।

5. साक्षी सं. 8 द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन घरेलू जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव से गुजर रहा था। सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग की गई थी और मृतक के साथ उसके वैवाहिक घर में दुर्व्यवहार किया गया था।

6. साक्षी सं. 8 के फरदबेयान में लगाए गए आरोप के अनुसार, मांग तब भी बनी रही और अपीलकर्ता अपनी पत्नी (मृतक) को पटना में अपने कार्यस्थल पर वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं हो जाती।

7. मृतक और अपीलार्थी ने पूरी रात लड़ाई की थी और जब उस कमरे से धुआं निकला जिसमें दंपति सो रहे थे, तो सूचना चिंतित हो गया और जबरन दरवाजा खोला। मृतक अविचल पड़ी थी और ऐसा प्रतीत होता था कि उसे आग भी लगा दी गई थी। प्राथमिकी के अनुसार अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया।

8. इसलिए यह मामला लाया गया।

9. विचारण के दौरान,अभियोजन पक्ष के गवाह 1,2 और 3 को छोड़कर किसी भी गवाह ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया है। 1, 2 और 3 जिन्हें भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें पता चला था कि मृतक ने अपीलार्थी द्वारा उसे पटना में अपने कार्यस्थल पर ले जाने के मुद्दे पर पूरी रात अपीलार्थी के साथ लड़ाई की थी, जिसके लिए वह तैयार नहीं था।

10. इस संदर्भ में, पहले मृतक को लगी चोटों की प्रकृति की जांच करना लाभदायक होगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई।

11. उसी दिन डॉ. उदय शंकर प्रियदर्शी (पीडब्लू 9) और दो अन्य लोगों द्वारा शव परीक्षण किया गया, जिन्होंने एक मेडिकल टीम बनाई। मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन गर्दन के विच्छेदन पर, श्वासनली की मांसपेशियों पर एक चोट पाया गया था। श्वासनली संकुचित पाई गई। मामूली झुलसने के भी प्रमाण थे जिसके कारण मृतक की खोपड़ी और बालों प्रभावित हुए था। हालांकि, शव परीक्षण के दौरान मेडिकल टीम द्वारा देखी गई जलने की चोट निर्णायक रूप से मृत्यु के पश्चात की थी ना कि मृत्यु के पूर्व थी।

12. पूछताछ किए जाने पर,अभियोजन गवाह - 9 ने स्वीकार किया कि फांसी के मामले में, श्वासनली संकुचित होगी।

13. हम पाते हैं कि इस तरह के प्रश्न और अभियोजन साक्षी सं.9 के उसके उत्तर से इस रहस्य को हल करने में कोई मदद नहीं मिलती है कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई।

14. यदि मृतक की मृत्यु फांसी से हुई होती, तो निश्चित रूप से गर्दन पर चोट और बंधन के निशान होते। यदि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई, तो इस बात के बिना कि उसकी गर्दन पर सीधा दबाव डाला गया था या इसे किसी भी नरम कपड़े जिसका उपयोग इस घटना में किया गया हो सकता है, गर्दन पर बंधन का निशान होता। मृतक को लगी चोटों के कारण, हमने संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया है कि क्या मृतक की हत्या करने के उद्देश्य से उसकी गला घोंट दी गई थी।

15. हम लोगों के लिए यह अनुमान लगाने के लिए कि उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसकी गला घोंट दी गई थी, त्वचा पर किसी भी बाहरी चोट या बंधन के निशान या संदूषण की पूर्ण अनुपस्थिति है और त्वचा के नीचे के स्तर पर हल्के एक्किमोसिस के डॉक्टर का अवलोकन केवल यह दर्शाता है कि मृतक की हत्या के उद्देश्य से गला घोंटकर हत्या नहीं की गई थी। मृतक लेकिन निश्चित रूप से दम घुटने और इसके परिणामस्वरूप दिल की सांस की विफलता से मृत्यु हो गई।

16. क्या हुआ होगा?

17. उसे क्यों जलाया गया?

18. इन प्रश्नों का उत्तर घर में मौजूद गवाहों द्वारा दिया जा सकता था।

19. दुर्भाग्य से वे पलट गए हैं और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

20. इस संदर्भ में यह इंगित करें कि "पक्षद्रोही गवाह" शब्द का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में नहीं मिलता है। इसका मतलब केवल एक गवाह की गवाही है जो विरोधी पक्ष के पक्ष में गवाही देता है। एक गवाह मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के कथन की पुष्टि कर सकता है, लेकिन बाद में, प्रतिपरीक्षा में, विपरीत पक्ष के पक्ष में अपना विचार बदल सकता है। हो सकते हैं, जहां एक गवाह मुख्य परीक्षा में भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेगा। प्रथम श्रेणी के संबंध में, न्यायालय को ऐसे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने की अपनी शक्ति से बंचित नहीं किया जाता है। **राजेश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 12 एस. सी. सी. 200** का संदर्भ लें

21. **सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडू राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 567,** में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक गवाह को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित करने का विकल्प चुना और उससे जिरह की। ऐसे गवाह के साक्ष्य को उस हद तक स्वीकार किया जा सकता है जहॉ तक उनका बयान सावधानीपूर्वक जॉच के विश्वनीय पाया जाता है। [यह भी देखें **भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. 389, रवींद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 233, उ. प्र. राज्य बनाम। रमेश प्रसाद मिश्रा और अन्य (1996) 10 एस. सी. सी. 360**]।

22. क्या उन्होंने अभियुक्तों का पक्ष लिया है क्योंकि की अंतिम समझ यह थी कि मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं था?

23. कुछ भी ज्ञात नहीं है और तथ्य परिदृश्य अटकलें लगाने के लिए बहुत जगह छोड़ता है।

24. इस प्रकार सभी गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण, हमने अन्वेषक अर्थात् बैद्यनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 10) के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की है। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष पुष्टि की है कि अपीलकर्ता को मृतक के पिता के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों और ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया था। यह 09.12.2011 को किसी समय हुआ था। हालाँकि, अपीलार्थी को केवल 11.12.2011 को अदालत में पेश किया गया है।

25. इस तथ्य से संकेत लेते हुए, श्री ठाकुर ने सुझाव दिया है कि शायद मृतक घर में मौजूद नहीं था और उसे कहीं और से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस स्टेशन लाया गया था। यह परिकल्पना अभियोजन पक्ष की कहानी की योजना में उस तरह से सटिक नहीं बैठती है जिस तरह से यह जांच और मुकदमे की अवधि में सामने आई है।

26. लेकिन इसी तरह, एक और रहस्य है जिसे हल करने की आवश्यकता है। यदि अपीलार्थी ने मृतक का उसके साथ उसके कार्यस्थल पर जाने के आग्रह जो वह नही चाहता था के कारण रात में गला घोंट दिया, जो वह नहीं चाहता था, तो कारण क्या था और उसे आग लगाने में कैसे कामयाब रहा, जो चलने की चोट शव-परीक्षण के दौरान देखी गई।

27. मृतक की मॉत आग लगाने से पहले ही हो चुकी थी।

28. यदि अपीलार्थी ने उसे आग लगा दी होती तो परिवार के सदस्यों द्वारा आग बुझाने के कुछ प्रयास किए जाते। दुर्भाग्य से, इस संबंध में कोई सबूत नहीं है।

29. जाँचकर्ता मृतक के घर पहुँचा और पाया कि मृतक को पहले से ही पीले कपड़े से ढक दिया गया था और घर के बरामदे में डाल दिया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है, यहां तक कि प्राथमिकी में भी बयान नहीं है कि आग बुझाई गई थी और इसलिए, कोई और

जलन नहीं थी, बल्कि केवल मामूली झुलसना थी, जिससे केवल खोपड़ी और मृतक के बाल प्रभावित हुए थे।

30. मृतक को आग लगाने और आग बुझाने के संबंध में सबूतों की पूरी कमी के साथ, जिसके परिणामस्वरूप मृतक पूरी तरह से नहीं जले के संबंध में सबूतों की पूरी कमी के साथ और जो जलती हुई चोटें पोस्टमॉर्टम पाई गईं, कोई केवल यह अनुमान लगा सकता है कि शायद मृतक के आत्महत्या करने या अपीलार्थी की बल प्रयोग करने की कार्रवाई, जो गलती से घातक साबित हुई, या कुछ और जो अस्पष्ट बनी हुई है, के लिए एक आवरण प्रदान करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं।

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथ्य यह है कि मृतक की मृत्यु उसके माता-पिता के घर में हुई और अपीलार्थी को बंद कर दिया गया और फिर उसके ससुराल वालों द्वारा पुलिस को सौंप दिया गया, यह पूरी तरह से इस तथ्य को स्थापित करता है कि मृतक की मृत्यु के दिन अपीलार्थी उसके घर में मौजूद था। अपीलार्थी को न्यायालय में पेश करने में केवल दो दिन की देरी से कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि पुलिस ने नियमों और पुस्तक के अनुसार काम नहीं किया। यह कि गर्दन के ऊपर एक त्वचीय स्तर पर एक हल्का त्वचा की विवर्णता थी, आगे पुष्टि करता है कि अपीलार्थी का कभी भी मृतक को मारने का इरादा नहीं था। वह मृतक के घर में था जिसमें सूचक के पुत्र की शादी के बाद लगातार उत्सव के कारण कई मेहमान थे। मृतक के शरीर पर चोट, जो मृत्यु पूर्व में कारित की गयी धटित हुई, हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अपीलार्थी का कभी भी उसे मारने का इरादा नहीं था। लेकिन यह निश्चित रूप से माना जाता है कि उन्हें यह जानकारी थी कि मृतक की गर्दन पर लगाए गए किसी भी बल का परिणाम मृत्यु हो सकता है, जो हत्या नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से गैर-इरादतन हत्या हो सकती है, न कि हत्या के बराबर।

32. हम, इस प्रकार, बचाव द्वारा प्रतिपादित सभी कहानियों को खारिज करते हैं। परिस्थितियों को जोड़ते हुए, हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृतक पर कुछ बल

प्रयोग किया गया था जब वह अपीलार्थी को उसके कार्यस्थल पर ले जाने के लिए अडिग थी, जिसे वह स्वीकार करने को तैयार नहीं था।

33. यह उसकी मौत का कारण बन सकता है।

34. यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अपीलार्थी ने विचार नहीं किया होगा।

35. इस प्रकार, हम भा. दं. सं.की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराने में निचली अदालत के फैसले को उचित पाते हैं क्योंकि दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए किसी भी यातना का कोई सबूत नहीं है, भले ही मृतक के पिता के फर्दबयान में ऐसा अनुमान लगाया गया था।

36. हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों से, हम पाते हैं कि निचली अदालत ने शायद उन पहलुओं पर विचार नहीं किया, जिन्हें हमने उजागर किया है, क्योंकि उसने भा. दं. सं. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की है।

37. हत्या के रूप में गिने जाने वाले अपराध के लिए हत्या का इरादा प्रमुख तत्वों में से एक है। इरादे को समझना मुश्किल है क्योंकि केवल अपराधी ही जानता है कि उसका इरादा क्या है। फिर भी, मृतक की मृत्यु के लिए विशिष्ट इरादे को स्थापित करने के लिए पूरी परिस्थितियों को न्यायिक छलनी में रखने की आवश्यकता है।

38. हमने अपनी पत्नी की हत्या के लिए अपीलार्थी के आवश्यक अपराधिक मनः कारण पर संदेह करने के लिए अपने कारण दिए हैं।

39. दंपति को एक पुत्र का प्राप्ति हुई थी था जो उसी घर में था जब मृतक की मृत्यु हुई थी।

40. ये तथ्य हमें अपीलार्थी की दोषसिद्वी की धारा 302 भा.द.सं. से धारा 304 भाग II में परिवर्तित करने के मजबूर करते है। क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि उसे यह जानकारी थी

कि किसी महिला पर जो भी शारीरिक बनावट हो, उसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है या ऐसी चोट लग सकती है जिसका अंत मृत्यु होगा।

41. इस प्रकार अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भा.द.वि. की धारा 304 भाग II में परिवर्तित किया जाता है।

42. अब सजा सुनाने के सबसे कठोर पहलू पर आते हैं।

43. मामले के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी जांच और मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान जेल में था और 07.09.2015 को दोषी ठहराए जाने के बाद ही उसे जमानत पर रिहा किया गया था। इस प्रकार उन्होंने लगभग चार साल जेल में बिताए हैं। जेल में उनके आचरण के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं आई है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि वह सुधार से परे है। इसके विपरीत, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर ने कहा है कि अपीलार्थी के परिवार में मृतक के पुत्र की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है।

44. हमने उन संभावनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है जिनके तहत मृतक के पिता सहित सभी गवाहों ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था। या तो मृतक का पिता एक भावनाहीन व्यक्ति था जिसने किसी लाभ के लिए अपीलार्थी के साथ व्यापार किया होगा; या वह जानता होगा कि अपीलार्थी का कभी भी मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं था; या कि वह केवल अपने पोते की भलाई और खुशी को सुरक्षित करना चाहता था।

45. बाद की दो स्थितियों में, अपीलार्थी के साथ नरमी से व्यवहार करने की आवश्यकता है।

46. ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, हम इसे उचित समझते हैं और मानते हैं कि यदि अपीलार्थी की सजा को हिरासत की अवधि तक कम कर दिया जाता है जो वह पहले ही भुगत चुका है, तो न्याय का हित पूरा होगा।

47. हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

48. ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके आलोक में अपील का निपटारा कर दिया गया है।

49. अपीलार्थी जमानत पर है। उसे आरोप से बरी कर दिया जाता है। उसे अपने जमानत बांड के तहत देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

50. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

51. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

52. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी टैगिया, न्यायमूर्ति)

सौरव कुमार सिन्हा

कृष्णा

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।